भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1460

(20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों को भुगतान

1460. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान एक पखवाड़े के भीतर किया जाना है अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को समय पर निधि जारी करने और श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान करने के साथ-साथ राज्यों को धन जारी करने और श्रमिकों को समय पर भुगतान करने में किस हद तक मदद मिली है;

(ग) क्या कोवि-19 के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उन मजदूरों के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की संभावना बढ़ाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कर चुके श्रमिकों की सहायता के लिए मनरेगा को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मनरेगा के अंतर्गत समय पर 100 प्रतिशत भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की अनुसूची-II में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार मजदूर मस्टर रोल बंद होने की तारीख से सोलहवें दिन के बाद से विलंब की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए भुगतान न की गई मजदूरी के **0.05%** की दर से विलंब के लिए मु वजे का भुगतान पाने के पात्र हैं। मुख्यतः मजदूरी के भुगतान के प्रथम चरण

में एफटीओ अपलो करने में विभिन्न राज्य कर्मियों की अदक्षता के कारण देरी के ये मामले होते हैं। जब कभी विलंब के लिए मु वजा बनता है तब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उसका भुगतान करते हैं।

(ख): महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गाँधी नरेगा) योजना मांग धारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जिससे नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार से पीएफएमएस के माध्यम से निधि अंतरण देश (एफटीओ) प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान ीबीटी के अंतर्गत सीधे लाभार्थी के बैंक/ाकघर खाते में किया जाता है। मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61,293 करोड़ रू. की निधियां पहले ही रिलीज कर दी है।

(ग) से (ङ): जी, हाँ। कोवि महामारी के दौर में अनेक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे हैं। महात्मा गाँधी नरेगा योजना मांग धारित मजदूरी रोजगार योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार धारक परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य इस योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग करने का पात्र है। इस योजना में जॉब कार धारक को जॉब कार में प्रवासी श्रमिक/परिवार की श्रेणी में पंजीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवासी श्रमिक/परिवार के मांग करने पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस श्रमिक/परिवार को जॉब कार जारी किया जा सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल 86,81,928 नए जॉब कार जारी किए गए हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 36,64,368 नए जॉब कार जारी किए गए थे।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग और उनके कार्य-निष्पादन के अनुसार उनके परामर्श से "स्वीकृत श्रम बजट" में समय-समय पर संशोधन भी करता है, ताकि काम की मांग पर प्रत्येक मजदूर को समय पर काम उपलब्ध कराया जा सके। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (17.09.2020 तक) स्वीकृत श्रम बजट (श्रम-दिवस) और बजट वंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2020-21	2019-20	2018-19
स्वीकृत श्रम बजट (श्रम-दिवस) (करोड़ में)	310.79	276.76	256.56
बजट वंटन (करोड़ रुपए में) *	61,500	71706.55	61830.09

*सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान काम की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करने के लिए महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

कोवि-19 महामारी को देखते हुए वापस लौटे प्रवासी कामगारों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और जीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीके रए) दिनांक 20 जून, 2020 को शुरू किया गया है। इस अभियान में बिहार, झारखं, मध्य प्रदेश, ओिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नामक छह राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर जोर देते हुए विपदाग्रस्त लोगों को तात्कालिक रोजगार और जीविका के अवसर उपलब्ध कराने, गांवों को सार्वजनिक अवसंरचना से परिपूर्ण करने और य अर्जन कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा दीर्घकालिक जीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने हेतु

 जीविका परिसंपत्तियों का निर्माण करने की बहुद्देश्यीय कार्यनीति अपनाई गई है। दिनांक 20 जून, 2020 को 50,000 करोड़ रू. के संसाधन पैकेज के साथ शुरू होने वाले इस अभियान की अवधि 125 दिन है। जीके रए के अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर लगभग 29 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार दिया गया है और इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 26,382 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

(च): मंत्रालय ने लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान के लिए समय पर भुगतान प्रक्रिया के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपर्युक्त एसओपी का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। पीएफएमएस/एनईएफएमएस जैसे प्लेटफॉर्मों के प्रयोग से तात्कालिक धार पर भुगतानों की निगरानी में सुविधा हुई है। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के प्रयोग के परिणामस्वरूप भुगतान देशों के समय पर सृजन की स्थिति में काफी सुधार हु है, जिससे कामगार के खाते में मजदूरी के जमा होने में लगने वाली वास्तविक समयावधि में सुधार हु है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (17.09.2020 तक) राष्ट्रीय स्तर पर मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में लगभग 98.57 % भुगतान देशों का सृजन हु है।

*****